फाइल सं जे- 11013/1/20252025-एफएम 456 - 464

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

कमरा सं 107, ए-विंग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 15.07.2026

आदेश

इस मंत्रालय के दिनांक 05.05.2026 के समसंख्यक आदेश का अधिक्रमण करते हुए, केंद्र सरकार एतद्‌द्वारा नीचे उल्लिखित प्रसारित सामग्री से संबंधित शिकायतों/परिवादों की जांच के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति का पुनर्गठन करती है:-

क. प्राइवेट एफएम रेडियो चरण III नीति, 2011 के खंड 12.1 और खंड 24.1 के अनुसरण में ऐसे उल्लंघनों की जांच करने और उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए, जो यह अनिवार्य करते हैं कि धारक अनुमति आकाशवाणी द्वारा अनुसरित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता (अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य संहिता) का पालन करेंगे ।

ख. भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए 13.02.2024 की संशोधित नीति दिशानिर्देशों के खंड 6 के अनुसरण में, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित शिकायतों/ परिवादों की जांच करना और उचित कार्रवाई की सिफारिश करना, जिसमें खंड 5 में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन के मामले में शास्ति लगाने/अनुमति करार को निरस्त करने का प्रावधान है।

2. तदनुसार, प्राइवेट एफएम रेडियो नीति के खंड 24.1 तथा सीआरएस नीति के खंड 6 के अधीन एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:

क. अपर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	अध्यक्ष
ख. संयुक्त सचिव (उद्योग), सूचना और प्रसारण मंत्रालय	सदस्य
ग. प्रतिनिधि, गृह मंत्रालय	सदस्य
घ. प्रतिनिधि, महिला और बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
ङ. प्रतिनिधि, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	सदस्य
च. प्रतिनिधि, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	सदस्य
छ. प्रतिनिधि, भारतीय प्रेस परिषद	सदस्य
ज. प्रतिनिधि, बार काउंसिल ऑफ इंडिया	सदस्य
झ. प्रतिनिधि, आकाशवाणी कार्यक्रम विंग	सदस्य
ञ. उप सचिव/निदेशक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	सदस्य-संयोजक

(नोट: सहभागी मंत्रालय कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रतिनिधि का पद स्तर उपसचिव/निदेशक के पद से कमतर न हों)

3. आईएमसी समय-समय पर बैठक करेगी और केंद्र सरकार द्वारा कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन या उनके प्रतिकूल कार्यों के संबंध में भेजी गई शिकायतों पर सुनवाई करेगी।

4. अंतर-मंत्रालयी समिति अपने समक्ष रखी गई शिकायतों या परिवादों की जांच करेगी और केंद्र सरकार को उचित सिफारिशें करेगी, जिनमें शामिल हैं:

क. प्राइवेट एफएम रेडियो नीति के खंड 12.1 के उल्लंघन के लिए, नीति के खंड 24.1 के अनुसार दंड अधिरोपित करना;

ख. सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए संशोधित नीति दिशानिर्देशों के खंड 5 के उल्लंघन के लिए दंड अधिरोपित करना।

(विस्तृत प्रावधान **अनुलग्नक - I** में दिए गए हैं)

ग. प्रसारक को सामग्री को हटाने या संशोधित करने, या किसी कार्यक्रम या चैनल को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए ऑफ-एयर करने का निदेश देना, जिनके कारण लिखित रूप में रिकॉर्ड किए जाएं

5. अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा दंड अधिरोपित करने या अन्य उपयुक्त कार्रवाई के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए विचार किया जाएगा।

6. समिति की सिफारिश के आधार पर दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, दंड अधिरोपित करने पहले अनुमतिधारक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(एम. एस. रावत)
उप निदेशक
दूरभाष: 23384995

सेवा में,

1. श्री प्रभात, अपर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय।
2. सुश्री श्रुति सिंह, सयुंक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय

उपयुक्त प्रतिनिधि को नामित करने (यदि पहले नामित नहीं किया गया है) के अनुरोध के साथ प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सचिव, गृह मंत्रालय।
2. सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय।
3. सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।
4. महासचिव, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
5. सचिव, भारतीय प्रेस परिषद।
6. अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया।
7. महानिदेशक, आकाशवाणी।

अनुलग्नक - I

प्राइवेट एफएम रेडियो चरण III नीति

खंड 12.1, अनुमतिधारक उसी कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करेगा जिसका पालन आकाशवाणी द्वारा किया जाता है और जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है या किसी अन्य लागू संहिता का पालन किया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट कर सकती है।

खंड 24.1, यदि 11.1, 11.2 और 12.1 में उल्लिखित शर्तों का कोई उल्लंघन होता है, तो सरकार स्वत: या शिकायतों के आधार पर संज्ञान ले सकती है और उचित दंड की सिफारिश करने के लिए मामले को कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं संबंधी अंतर-मंत्रालयी समितियों के समक्ष रख सकती है। समिति की सिफारिश पर दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, दंड अधिरोपित करने से पहले धारक अनुमति को अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि, मंत्रालय ऐसे उल्लंघनों के लिए कार्रवाई करने के लिए किसी अन्य तंत्र को विनिर्दिष्ट करने के लिए स्वतंत्र होगा।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने संबंधी संशोधित नीति दिशानिर्देश दिनांक: 13.02.2024

संलग्न नीति के अनुसार खंड 5 और खंड 6

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
ए विंग, शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001

दिनांक: 13 फरवरी 2024

भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए संशोधित नीति दिशानिर्देश

प्रस्तावना

क) दिसंबर 2002 में, भारत सरकार ने आईआईटी/आईआईएम सहित स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए लाइसेंस देने हेतु एक नीति को मंजूरी दी।

ख) इस मामले पर वर्ष 2006 में पुनर्विचार किया गया है और सरकार ने अब सिविल सोसाइटी और स्वैच्छिक संगठनों आदि जैसे 'गैर-लाभकारी' संगठनों को अपने दायरे में लाकर नीति को व्यापक आधार देने का निर्णय लिया ताकि विकास और सामाजिक बदलाव से संबंधित मुद्दों पर सिविल सोसाइटी को अधिक भागीदारी का मौका मिल सके। संशोधित दिशानिर्देश वर्ष 2006 में जारी किए गए थे। वर्ष 2006 में जारी नीतिगत दिशानिर्देशों को बाद में वर्ष 2017, 2018 और वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था।

ग) सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की वित्तीय संधारणीयता सुनिश्चित करने और सामुदायिक रेडियो क्षेत्र की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने नीतिगत दिशानिर्देशों में और संशोधन किए हैं। अब, संशोधित नीति दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:-

1. बुनियादी सिद्धांत

सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) के संचालन के इच्छुक संगठन को निम्नलिखित सिद्धांतों को पूरा करने और उनका पालन करने में सक्षम होना चाहिए:

क) यह स्पष्ट रूप से एक 'गैर-लाभकारी' संगठन होना चाहिए और स्थानीय समुदाय के लिए कम से कम तीन वर्ष की सेवा का एक प्रमाणित रिकॉर्ड होना चाहिए।

ख) इसके द्वारा संचालित किए जाने वाले सीआरएस को इसके कवरेज क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सेवा के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए।

ग) इसमें एक स्वामित्व और प्रबंधन संरचना होनी चाहिए जो उस समुदाय को प्रतिबिंबित करे जिसे सीआरएस सेवा देना चाहता है।

घ) यह एक कानूनी इकाई होना चाहिए अर्थात् इसे इस उद्देश्य से संबंधित इस तरह के किसी अन्य ऐसे अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए और आवेदन के समय कम से कम तीन वर्ष पुराना होना चाहिए।

ङ) एनजीओ, पंजीकृत सोसाइटी और पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट को नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा और आवेदक आवेदन के समय अपनी विशिष्ट आईडी प्रदान करेगा।

2. पात्रता मानदंड

(क) निम्नलिखित प्रकार के संगठन सामुदायिक रेडियो लाइसेंस के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे:

i. भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना करने की अनुमति के लिए, समुदाय आधारित संगठन, जो ऊपर पैरा 1 में सूचीबद्ध बुनियादी सिद्धांतों को पूरा करते हैं, आवेदन हेतु पात्र माने जाएंगे। इनमें राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र, स्वायत्त निकाय, नागरिक समाज संगठन, स्वैच्छिक संगठन, पंजीकृत समितियां, सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा स्थापित गैर-लाभकारी संगठन और गैर-लाभकारी कृषक उत्पादन संगठन (एफपीओ) शामिल होंगे।

ii. शैक्षणिक संस्थान।

(ख) निम्नलिखित, सीआरएस के संचालन लिए पात्र नहीं होंगे:

(i) व्यक्ति;

(ii) राजनीतिक दल और उनके सहयोगी संगठन; [और इन पार्टियों से संबद्ध छात्र, महिलाएं, ट्रेड यूनियन सहित ऐसे अन्य विंग।];

(iii) लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करने वाले संगठन;

(iv) संघ और राज्य सरकारों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित संगठन; और

(v) धार्मिक निकाय।

3. आवेदनों की चयन प्रक्रिया और कार्यवाही

क) आवेदकों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर 2500/- रुपये के प्रसंस्करण शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदनों पर निम्नलिखित तरीके से कार्यवाही की जाएगी:

(i) *पात्र संगठनों के आवेदनों पर विचार करने के लिए सचिव (सूचना और प्रसारण) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया जाएगा।*

(ii) *सरकारी संस्थानों/संगठनों से प्राप्त आवेदन आईएमसी के समक्ष रखे जाएंगे। आईएमसी द्वारा अनुमोदन के बाद, आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तावित स्थान पर, संचार मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई फ्रीक्वेंसी स्पॉट की उपलब्धता के अधीन, आशय पत्र (एलओआई) जारी किया जाएगा।*

(iii) *निजी संस्थानों/संगठनों से प्राप्त आवेदन आईएमसी के समक्ष रखे जाएंगे। आईएमसी द्वारा अनुमोदन के बाद, आशय पत्र (एलओआई) गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने और आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तावित स्थान पर संचार मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई फ्रीक्वेंसी स्पॉट की उपलब्धता के अधीन जारी किया जाएगा।*

ख) मंजूरी प्राप्त करने की समय-सारिणी इस प्रकार होगी:-

(i) *आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के भीतर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय आवेदन पर कार्रवाई करेगा और या तो आवेदक को कमियों के बारे में, यदि कोई हो, सूचित करेगा, या उपरोक्त पैरा 3 (क) (ii) और 3 (क) (iii) में यथा निर्धारित मंजूरी के लिए आवेदन को अन्य मंत्रालयों को, जैसा भी मामला हो, भेजेगा।*

(ii) *संबंधित मंत्रालय आवेदन प्राप्त होने के तीन माह के भीतर अपनी टिप्पणियाँ/मंजूरी सूचित करेंगे। हालाँकि, संबंधित मंत्रालय द्वारा तीन माह की निर्धारित अवधि के भीतर टिप्पणियाँ/मंजूरी देने में विफलता की स्थिति में, एलओआई जारी करने के निर्णय के लिए मामले को आईएमसी को भेजा जाएगा।*

(iii) *एलओआई की वैधता इसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष होगी। आवेदक द्वारा कारण बताते हुए उसके अनुरोध पर एलओआई की वैधता को तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिस पर मामले दर मामले के आधार पर विचार किया जा सकता है।*

(iv) *एलओआई धारक को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ अनुमति मंजूरी करार (जीओपीए) पर हस्ताक्षर करना होगा और दस (10) वर्षों की अवधि के लिए 25,000/-,रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा, जो एलओआई धारक को आवश्यक शुल्क, जो प्रयोज्य हो, प्रस्तुत करने के बाद संचार मंत्रालय से वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (डब्ल्यूओएल) प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। संचार मंत्रालय से डब्ल्यूओएल प्राप्त होने के बाद ही सामुदायिक रेडियो स्टेशन को चालू किया जा सकता है।*

(v) *एलओआई जारी होने के एक वर्ष के भीतर या जीओपीए पर हस्ताक्षर करने के छह माह के भीतर, जो भी पहले हो, अनुमति धारक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का संचालन करेगा और सामुदायिक रेडियो स्टेशन के चालू होने की तारीख एमआईबी को सूचित करेगा। यदि आवेदक उपरोक्त निर्धारित अवधि के भीतर सीआरएस का संचालन करने में विफल रहता है, तो वह कारण बताते हुए अगले तीन माह के लिए समय विस्तार की अनुमति मांग सकता है। सीआरएस को चालू करने के लिए समय बढ़ाने के अनुरोध पर मामले दर मामले के आधार पर विचार किया जा सकता है।*

(vi) *ऊपर निर्धारित समय-सारिणी का अनुपालन करने में विफल रहने पर एलओआई/ जीओपीए धारक अपने एलओआई/जीओपीए रद्द होने और बैंक गारंटी जब्त होने के लिए उत्तरदायी होगा।*

4. अनुमति प्रदान करने संबंधी करार की शर्तें

(क) "अनुमति मंजूरी करार (जीओपीए)" की प्रारंभिक अवधि दस (10) वर्ष होगी।

(ख) अनुमति मंजूरी करार को एक समय में पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा। यह विस्तार एक आवदेन के आधार पर और अनुमति की शर्तों और निबंधनों के अनुपालन के सत्यापन के आधार पर दिया जाएगा। विस्तार के लिए आवेदन मौजूदा जीओपीए की समाप्ति से एक वर्ष पहले प्रस्तुत करना होगा। मौजूदा सीआरएस का जीओपीए लाइसेंसधारी के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार वैध रहेगा।

(ग) मंत्रालय द्वारा स्थानीय आकाशवाणी केंद्र या जीओपीए अवधि के दौरान मंत्रालय द्वारा प्रतिनियुक्त किसी व्यक्ति/अधिकारी से सीआरएस के निरंतर संचालन पर एक रिपोर्ट मांगी जा सकती है।

(घ) अनुमति मंजूरी करार और अनुमति पत्र गैर-हस्तांतरणीय होगा।

(ङ) अनुमति धारक पर कोई अनुमति शुल्क नहीं लगाया जाएगा। तथापि, अनुमति धारक को संचार मंत्रालय के डब्ल्यूपीसी विंग को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भुगतान करना होगा।

(च) यदि अनुमति धारक संचालन शुरू होने के बाद 3 महीने से अधिक समय तक प्रसारण कार्यकलाप बंद कर देता है, तो उसकी अनुमति रद्द की जा सकती है।

(छ) एक पात्र संगठन/संस्थान जो कई जिलों में संचालित होता है, उसे संचालन के विभिन्न जिलों में अधिकतम छह (6) सीआरएस स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो:

(i) बाद के सीआरएस की स्थापना के लिए आवेदन करते समय कम से कम एक वर्ष के लिए पहले से चालू किए गए सीआरएस का निरंतर संचालन। एक से अधिक सीआरएस के लिए लाइसेंस सामूहिक रूप से जारी नहीं किए जाएंगे बल्कि एक समय में एक ही जारी किया जाएगा। संगठन को एक जिले के लिए केवल एक सीआरएस की अनुमति दी जाएगी।

(ii) एक से अधिक सीआरएस स्थापित करने वाले संगठनों को स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और संबंधित सीआरएस द्वारा समुदाय के लिए प्रासंगिक सामग्री प्रसारित करनी चाहिए।

(ज) एक से अधिक सीआरएस स्थापित करने के इच्छुक संगठन को यह पुष्टि करते हुए वचनबद्धता प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी कि कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर तैयार किए जाएंगे।

(झ) अनुमति धारक को निर्धारित प्रारूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जब भी मांगी जाए जीओपीए शर्तों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

5. सामग्री विनियमन एवं निगरानी

(क) कार्यक्रम समुदाय के लिए तत्काल प्रासंगिक होने चाहिए। विकासात्मक, कृषि, स्वास्थ्य, शैक्षिक, पर्यावरण, सामाजिक कल्याण, सामुदायिक विकास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर जोर दिया जाना चाहिए। प्रोग्रामिंग को स्थानीय समुदाय की विशेष रुचियों और आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

(ख) लाइसेंसधारी एक सलाहकार और सामग्री समिति की स्थापना करेगा जिसमें स्थानीय समुदाय के सदस्य शामिल होंगे जो सामुदायिक रेडियो पर प्रसारित होने वाली सामग्री पर निर्णय लेंगे। सलाहकार एवं सामग्री समिति में कम से कम आधे सदस्य महिलाएँ होनी चाहिए।

(ग) कम से कम 50% सामग्री स्थानीय समुदाय की भागीदारी से तैयार की जाएगी, जिसमें से कम से कम आधी सामग्री महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित होनी चाहिए और विषय पोषण, स्तनपान, गर्भावस्था, व्यंजनों और सौंदर्य से परे होना चाहिए।

(घ) कार्यक्रम अधिमानतः स्थानीय भाषा और बोली में होने चाहिए।

(ङ) अनुमति धारक को आकाशवाणी के लिए प्रसार भारती द्वारा निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के प्रावधानों का पालन करना होगा।

(च) अनुमति धारक सीआरएस द्वारा प्रसारित सभी कार्यक्रमों को प्रसारण की तारीख से तीन महीने तक सुरक्षित रखेगा।

(छ) अनुमति धारक ऐसे किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं करेगा, जो 'समाचार और समसामयिक विषयों' से संबंधित हो और अन्यथा राजनीतिक प्रकृति का हो। तथापि, सीआरएस विशेष रूप से आकाशवाणी से प्राप्त समाचार और समसामयिक विषयों की सामग्री को उसके मूल रूप में या स्थानीय भाषा/बोली में अनुवादित करके प्रसारित कर सकता है। आकाशवाणी बिना किसी शुल्क के सीआरएस को अपनी खबरें भेजेगा। यह सुनिश्चित करना सीआरएस अनुमति धारक की जिम्मेदारी होगी कि अनुवाद के दौरान समाचार को विकृत या संपादित नहीं किया जाए।

निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित प्रसारण को गैर-समाचार और समसामयिक विषयों के प्रसारण के रूप में माना जाएगा और इसलिए यह स्वीकार्य होगा:

(i) लाइव कवरेज को छोड़कर खेल आयोजनों से संबंधित सूचना। तथापि स्थानीय प्रकृति के खेल आयोजनों की लाइव कमेंट्री की अनुमति हो सकती है;

(ii) यातायात और मौसम से संबंधित सूचना;

(iii) स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों, त्योहारों से संबंधित सूचना और कवरेज;

(iv) परीक्षाओं, परिणामों, प्रवेश, कैरियर परामर्श से संबंधित विषयों का कवरेज;

(v) रोजगार के अवसरों की उपलब्धता;

(vi) स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रदान की गई बिजली, जल आपूर्ति, प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य अलर्ट आदि जैसी नागरिक सुविधाओं से संबंधित सार्वजनिक घोषणाएं।

(vii) ऐसी अन्य श्रेणियां जिन्हें वर्तमान में अनुमति नहीं है जिन्हें बाद में समय-समय पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी जा सकती है।

ज) अनुमति धारक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रसारित कार्यक्रमों में ऐसा कुछ भी शामिल न हो जो/जिसमें:

(i) अप्रिय या गरिमा के विरुद्ध हो;

(ii) जिसमें मित्र देशों की आलोचना शामिल हो;

(iii) इसमें धर्मों या समुदायों पर हमला या धार्मिक समूहों के प्रति अपमानजनक, दृश्य या शब्द शामिल हों या जो सांप्रदायिक असंतोष या वैमनस्य को बढ़ावा देते हों या उत्पन्न करते हो;

(iv) जिसमें कुछ भी अश्लील, अपमानजनक, जानबूझकर, झूठी और विचारोत्तेजक बातें और अर्द्ध सत्य शामिल हैं;

(v) जिसमें हिंसा को प्रोत्साहित करने या भड़काने की संभावना है या जिसमें कानून और व्यवस्था के रखरखाव के खिलाफ कुछ भी शामिल है या जो राष्ट्र-विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है;

(vi) जिसमें न्यायालय की अवमानना या राष्ट्र की अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई भी बात शामिल है;

(vii) जिसमें राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति और न्यायपालिका की गरिमा के विरुद्ध आक्षेप शामिल हैं;

(viii) जो व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति या कुछ समूहों, देश के सामाजिक, सार्वजनिक और नैतिक जीवन के क्षेत्रों की आलोचना, बदनामी या निंदा करता हो;

(ix) जो अंधविश्वास या अन्ध-श्रद्धा को बढ़ावा देता है;

(x) जो महिलाओं को बदनाम करता है;

(xi) जो बच्चों को बदनाम करता है.

(xii) जो शराब, नशीले पदार्थों और तम्बाकू सहित मादक पदार्थो के उपयोग को वांछनीय के रूप में प्रस्तुत करता है/चित्रित करता है/सुझाव दे सकता है या जातीयता, राष्ट्रीयता, नस्ल, लिंग, यौन प्राथमिकता, धर्म, उम्र या शारीरिक या मानसिक विकलांगता के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ घृणित व्यवहार कर सकता है, भड़का सकता है, निंदा कर सकता है या घृणा को कायम रख सकता है या उसे अपमानित करने का प्रयास कर सकता है।

झ) अनुमति धारक यह सुनिश्चित करेगा कि धार्मिक कार्यक्रमों के संबंध में उचित सावधानी बरती जाए ताकि इनसे बचा जा सके:

(i) धार्मिक संवेदनशीलता का शोषण; तथा

(ii) किसी धर्म विशेष या धार्मिक संप्रदाय से संबंधित लोगों के धार्मिक विचारों और विश्वासों के प्रति अपराध करना।

6. दंड का अधिरोपण/अनुमति मंजूरी करार का निरसन

(क) यदि 5(क) से 5(झ) में उल्लिखित शर्तों का कोई उल्लंघन होता है, तो सरकार स्वतः संज्ञान ले सकती है या शिकायतों के आधार पर संज्ञान ले सकती है और मामले को उचित दंड की सिफारिश के लिए कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता संबंधी अंतर-मंत्रालयी समितियों के समक्ष रख सकती है। समिति की सिफारिश पर दंड लगाने का निर्णय लिया जाएगा। तथापि, दंड लगाने से पहले अनुमति धारक को अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाएगा।

(ख) दंड में निम्न शामिल होंगे:

(i) पहले उल्लंघन के मामले में एक माह तक की अवधि के लिए सीआरएस के संचालन की अनुमति का अस्थायी निलंबन।

(ii) उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर दूसरे उल्लंघन के मामले में तीन माह तक की अवधि के लिए सीआरएस के संचालन की अनुमति का अस्थायी निलंबन।

(ग) किसी भी बाद के उल्लंघन के लिए अनुमति का निरसन।

(घ) अनुमति के निरसन के मामले में, अनुमति धारक पांच वर्ष की अवधि के लिए भविष्य में नई अनुमति हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवेदन करने का पात्र नहीं होगा "बशर्ते उपरोक्त प्रावधान के अनुसार लगाया गया दंड समय-समय पर संशोधित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम 1933 सहित लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा।"

(ङ) पैरा 6 (ख) (i) और 6 (ख) (ii) में उल्लिखित अनुमति के निलंबन की स्थिति में, अनुमति धारक निलंबन अवधि के दौरान भी अनुमति मंजूरी करार के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करना जारी रखेगा।

7. ट्रांसमीटर पावर और रेंज

क) सीआरएस द्वारा 5-10 किमी क्षेत्र कवर करना अपेक्षित है। इसके लिए 100 वाट की अधिकतम प्रभावी विकिरण शक्ति (ईआरपी) वाला ट्रांसमीटर पर्याप्त होगा। हालांकि, तय आवश्यकता के मामले में जहां आवेदक संगठन यह स्थापित करने में सक्षम है कि उसे एक बड़े क्षेत्र या इलाके में सेवा देने की आवश्यकता है, या बडे भू-भाग में फैला है वहां संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से यथा आवश्यक आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) और इस तरह की अन्य मंजूरी की उपलब्धता के अधीन अधिकतम 250 वाट तक ईआरपी के उच्च क्षमता ट्रांसमीटर पर मामला दर मामला विचार किया जा सकता है। 100 वाट से अधिक और 250 वाट तक उच्च क्षमता

ट्रांसमीटर के अनुरोध भी सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित आईएमसी द्वारा अनुमोदन के अधीन होंगे।

ख) सीआरएस के लिए अनुमति प्राप्त एंटीना की अधिकतम ऊंचाई भूतल से 30 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, आरएफ विकिरण के जैविक खतरों की संभावना से बचने के लिए एंटीना की न्यूनतम ऊंचाई भूतल से कम से कम 15 मीटर होनी चाहिए।

8. वित्त पोषण और बनाए रखना (सस्टेंन्स)

क) आवेदक बहुपक्षीय सहायता एजेंसियों से धन प्राप्त करने के पात्र होंगे। सीआरएस की स्थापना के लिए विदेशी धन की सहायता लेने वाले आवेदकों को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 1976 के तहत एफसीआरए से मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

(ख) केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य संगठनों द्वारा जनहित की सूचना प्रसारित करने के लिए प्रायोजित कार्यक्रमों के अलावा किसी प्रायोजित कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, स्थानीय कार्यक्रमों, स्थानीय व्यवसायों और सेवाओं और रोजगार के अवसरों से संबंधित सीमित विज्ञापन और घोषणाओं की अनुमति होगी। ऐसे सीमित विज्ञापन की अधिकतम अवधि प्रसारण के प्रति घंटे 12 (बारह) मिनट तक सीमित होगी।

ग) पैरा 8(ख) के अनुसार विज्ञापन और घोषणाओं से उत्पन्न राजस्व का उपयोग केवल सीआरएस के परिचालन व्यय और पूंजीगत व्यय के लिए किया जाएगा। सीआरएस की पूर्ण वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के बाद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पूर्व लिखित अनुमति के साथ, अधिशेष को संगठन की प्राथमिक गतिविधि में लगाया जा सकता है अर्थात शैक्षणिक संस्थानों के मामले में शिक्षा के लिए और प्राथमिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए जिसके लिए संबंधित एनजीओ की स्थापना की गई।

घ) सरकार सीआरएस की निरंतर वृद्धि और सीआर समुदाय के बीच सामग्री साझा करने को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास करेगी।

9. अन्य नियम और शर्तें

क) सामुदायिक रेडियो प्रसारण का मूल उद्देश्य अनुमति धारक के सेवा क्षेत्र में समुदाय के सदस्यों को उनके कार्यक्रमों के प्रसारण में शामिल करके समुदाय की सेवा करना होगा। इस प्रयोजन के लिए समुदाय का अर्थ अनुमति धारक की प्रसारण सेवा के कवरेज क्षेत्र में रहने वाले लोगों से होगा। प्रत्येक आवेदक को भौगोलिक समुदाय या रुचि के समुदाय को निर्दिष्ट करना होगा जिसे वह कवर करना चाहता है। अनुमति धारक अपने सीआरएस की सेवाएं फ्री-टू-एयर आधार पर प्रदान करेगा।

ख) हालांकि अनुमति धारक इन दिशानिर्देशों के तहत और मंजूरी अनुदान करार के नियमों और शर्तों के अनुसार सेवा का संचालन करेगा, अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि प्रसारण सेवाओं को विनियमित और निगरानी करने के लिए जब भी कोई नियामक प्राधिकरण देश में गठित होगा, अनुमति धारक समय-समय पर ऐसे प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों, नियमों और विनियमों का पालन करेगा।

ग) अनुमति धारक सरकार को ऐसे अंतराल पर, जैसा आवश्यक हो, ऐसी सूचना प्रदान करेगा। इस संबंध में, अनुमति धारक को पिछले तीन महीनों के दौरान प्रसारित कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग को संरक्षित करने की आवश्यकता है, जिसके विफल होने पर अनुमति करार रद्द किया जा सकता है।

घ) सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को अनुमति धारक की प्रसारण सुविधाओं का निरीक्षण करने और सार्वजनिक और सामुदायिक हित में आवश्यक समझी जाने वाली जानकारी एकत्र करने का अधिकार होगा।

ड) सरकार के पास अनुमति धारक की संपूर्ण सेवाओं और नेटवर्क को अपने कब्जे में लेने या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में या राष्ट्रीय आपातकाल/युद्ध या कम तीव्रता के संघर्ष या इसी तरह की स्थितियों के प्रकार के तहत अनुमति को रद्द/समाप्त/निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित है।

च) अनुमति धारक की सेवाओं की स्थापना, रखरखाव और संचालन के लिए अनुमति धारक द्वारा नियुक्ति, अनुबंध, परामर्श आदि के माध्यम से तैनात किए जाने वाले सभी विदेशी कर्मियों को भारत सरकार से पूर्व सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

छ) सरकार किसी भी समय, सार्वजनिक हित में या प्रसारण के उचित संचालन के लिए या सुरक्षा कारणों से नियमों और शर्तों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

ज) अनुमति मंजूरी करार में कहीं और कुछ भी शामिल होने के बावजूद, सरकार के पास अनुमति धारक को किसी भी विशेष संदेश को प्रसारित करने का निर्देश देने की शक्ति होगी, जिसे प्राकृतिक आपात स्थिति, या सार्वजनिक हित या प्राकृतिक आपदा और इसी तरह, से उत्पन्न होने वाली किसी भी आकस्मिकता को पूरा करने के लिए वांछनीय माना जा सकता है और अनुमति धारक ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

झ) अनुमति धारक को सीआरएस चलाने वाले संगठन/प्रभाग के संबंध में अपने लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे सरकार को प्रस्तुत करने होंगे। खाते स्पष्ट रूप से आय और व्यय और सीआरएस के संबंध में संपत्ति और देनदारियों को दर्शाएंगे।

ञ) एक मंजूरी करार ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

ट) सरकार विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों को लाइसेंस प्रदान किया गया है, विज्ञापनों पर उच्चतम सीमा की निगरानी और प्रवर्तन के लिए विशेष व्यवस्था करेगी।

***

फाइल सं. जे.-11013/1/2025-एफएम 256 से 263

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

******

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 05 मई, 2026

आदेश

प्राइवेट एफएम रेडियो चरण-III नीति, 2011 के खंड 12.1 और खंड 24.1 के अनुसरण में , जिसमें यह अधिदेश दिया गया है कि अनुमतिधारक आकाशवाणी द्वारा अनुसरित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता (अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य संहिता) का पालन करेंगे और उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई का प्रावधान है, केन्द्र सरकार ऐसे उल्लंघनों की जांच करने और उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एतद्द्वारा एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन करती है।

2. तदनुसार, प्राइवेट एफएम रेडियो नीति के खंड 24.1 के तहत एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:

क.	अपर सचिव/संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	अध्यक्ष
ख.	प्रतिनिधि, गृह मंत्रालय	सदस्य
ग.	प्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
घ.	प्रतिनिधि, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	सदस्य
ङ	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	सदस्य
च.	भारतीय प्रेस परिषद से प्रतिनिधि	सदस्य
छ.	बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि	सदस्य
ज.	आकाशवाणी कार्यक्रम विंग के प्रतिनिधि	सदस्य
झ.	उप सचिव/निदेशक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	सदस्य- संयोजक

(नोट: सहभागी मंत्रालय कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रतिनिधि का पद स्तर उप सचिव/निदेशक के पद से कमतर न हों)

3. आईएमसी समय-समय पर बैठक करेगी और केंद्र सरकार द्वारा कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन या विरोध के संबंध में भेजी गई शिकायतों पर सुनवाई करेगी।

4. अंतर-मंत्रालयी समिति अपने समक्ष रखी गई शिकायतों या परिवादों की जांच करेगी और केंद्र सरकार को उचित सिफारिशें करेगी, जिनमें शामिल हैं:

(क) प्राइवेट एफएम रेडियो नीति के खंड 12.1 के उल्लंघन के लिए, नीति के खंड 24.2 के अनुसार दंड अधिरोपित करना;

खंड 12.1 के अनुसार, अनुमतिधारक उसी कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करेगा जिसका पालन आकाशवाणी द्वारा किया जाता है और जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है या किसी अन्य लागू संहिता का पालन किया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट कर सकती है।

इसके अलावा, खंड 24.1 के अनुसार, यदि 11.1, 11.2 और 12.1 में उल्लिखित शर्तों का कोई उल्लंघन होता है, तो सरकार स्वत: या शिकायतों के आधार पर संज्ञान ले सकती है और उचित दंड की सिफारिश करने के लिए मामले को कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं पर अंतर-मंत्रालयी समितियों के समक्ष रख सकती है। समिति की सिफारिश पर दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, दंड अधिरोपित करने से पहले अनुमति धारक को अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि, मंत्रालय ऐसे उल्लंघनों के लिए कार्रवाई करने के लिए किसी अन्य तंत्र को विनिर्दिष्ट करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ख) प्रसारक को सामग्री को हटाने या संशोधित करने, या किसी कार्यक्रम या चैनल को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए ऑफ-एयर करने का निदेश देना, जिनके कारण लिखित रूप में रिकॉर्ड किए जाएं

5. अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा दंड अधिरोपित करने या अन्य उपयुक्त कार्रवाई के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए विचार किया जाएगा।

6. समिति की सिफारिश के आधार पर दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, दंड अधिरोपित करने पहले अनुमतिधारक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

(योगेंद्र त्रेहन)
अतिरिक्त निदेशक
दूरभाष: 2338 0086

सेवा में,
श्री प्रभात, अपर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय।

उपयुक्त प्रतिनिधि को नामित करने के अनुरोध के साथ प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सचिव, गृह मंत्रालय।
2. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
3. सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।
4. महासचिव, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
5. सचिव, भारतीय प्रेस परिषद।
6. अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया।
7. महानिदेशक, आकाशवाणी।